राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग
(विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ)

क्रमांक एफ89( )/LM/दिपा.अभि./2017 दिनांक 27.10.2021

आदेश

दीपावली के त्योहार पर मिठाई, सूखे मेवे, बैकरी उत्पाद इत्यादि के साथ डिब्बा तौलने की प्रथा पर प्रभावी अंकुश लगाने को ध्यान में रखते हुए समस्त विधिक माप विज्ञान अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 व विधिक मापविज्ञान (डिब्बा बन्द वस्तुएं) नियम 2011के अंतर्गत निर्धारित दायित्वों के निवर्हन के साथ-साथ दिनांक 28.10.2021 से 03.11.2021 तक प्रतिदिन प्रातः 9.30 बजे से सायः 6.00 बजे तक बाजार में निरन्तर पेट्रोलिंग कर कार्यवाही सुनिश्चित करेगें तथा इस संबंध में की गई कार्यवाही की प्रतिदिन सूचना से मुख्यालय को निर्धारित प्रपत्र में अवगत करायेगें, जांच कार्यवाही में संबंधित क्षेत्र के प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। विभाग का कन्ट्रोल रूम का फोन नं. 2209745 है। उपभोक्ताओं द्वारा शिकायते कन्ट्रोल रूम के फोन नं. के अतिरिक्त उपभोक्ता हैल्प लाईन नं. 18001806030 एवं ईमेल आईडी stateconsumerhelpline.raj@gmail.com पर भी दर्ज करा सकते है।

इसे सर्वोच्य प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न :- प्रपत्र।

sd

(अनिल कुमार अग्रवाल)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं नियंत्रक
विधिक माप विज्ञान, उपभोक्ता मामले विभाग
राजस्थान

क्रमांक एफ89( )/LM/दिपा.अभि./2017 दिनांक 27.10.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, शासन सचिव उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सहायक अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं नियंत्रक विधिक माप विज्ञान (प्रकोष्ठ) उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव जिला कलक्टर समस्त।
4. उप निदेशक उपभोक्ता मामले विभाग, को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपभोक्ता हैल्प लाईन पर प्राप्त उक्त शिकायतों से प्रतिदिन सूचित करना सूचित करेगें।
5. लेखाधिकारी, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. जन सम्पर्क अधिकारी, खाद्य विभाग को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश व अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही को निःशुल्क प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करेगें।
7. जिला रसद अधिकारी संबंधित को उक्त कार्यवाही में संबंधित क्षेत्र के प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है।
8. समस्त संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी।
9. समस्त विधिक मापविज्ञान अधिकारी राजस्थान।
10. श्री महेन्द्र कुमार मीना, कनिष्ठ सहायक, विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ को निर्देशित किया जाता है जिलो से प्राप्त सूचना को इकजाई कर मुख्यालय को प्रेषित करें।
11. कन्ट्रोल रूम के प्रभारी का दायित्व प्रवर्तन अधिकारी श्री कुशाल बिलाला को दिया जाकर निर्देशित किया जाता है कि श्री मनमोहन सिंह एवं श्री महेन्द्र कुमार मीना, कनिष्ठ सहायक के सहयोग से प्रतिदिन प्राप्त होने वाली उपभोक्ताओं की शिकायतों को संधारित कर प्रतिदिन उप नियंत्रक के माध्यम से नियंत्रक विधिक माप विज्ञान को सूचित करेगें एवं जिलो से प्राप्त सूचनाओं का संकलन कर इकजाई सूचना से भी प्रतिदिन सूचित करेगें। इसके अतिरिक्त प्राप्त समस्त शिकायतों को संबंधित विधिक माप विज्ञान अधिकारी को जांच कार्यवाही के लियें भेजना सुनिश्चित करेगें।
12. श्री रविन्द्र कुमार जैन, प्रोग्रामर को भेजकर विभाग के इस आदेश को वैब पोर्टल पर अपलोड कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
13. उपभोक्ता संगठन समस्त।
14. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं नियंत्रक
विधिक माप विज्ञान, उपभोक्ता मामले विभाग
राजस्थान

Government of Rajasthan
Department of Consumer Affairs
(Legal Metrology)

निरीक्षण सांख्यिकी प्रपत्र

Date..

Name of Legal metrology officer.................................

Working standard Laboratory.................................

Sr. No.		No. of Complains Received		No. of Inspections Made		Violation of section/Rule	No. of Cases Booked		No. of Cases Compounded		Compounding Fee collected (In Rs.)		Details of Seized Items.	Uploaded on CIS portal (with in 48 hrs.)	Remarks
		Today	Total from 28.10.2021	Today	Total from 28.10.2021		Today	Total from 28.10.2021	Today	Total from 28.10.2021	Today	Total from 28.10.2021			
1	PCR														
	W&M														
	Other														
	Total														

Legal Metrology Officer
Distt.................................